



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 870 / 2014.....जिला.....जयपुर.....

उनवान—मैसर्स रामबाग पैलेस होटल प्रा.लि., जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवचन, जोन—प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज</p>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.06.2014	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u></p> <p style="text-align: center;"><u>श्री सुनील शर्मा, सदस्य</u></p> <p style="text-align: center;"><u>श्री मदन लाल, सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त अपील अपीलीय प्राधिकारी—द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.05.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जिसमें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवचन, संभाग—प्रथम, जयपुर (जिसे आगे “निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 26, 55 व 61 के तहत निर्धारण वर्ष 2008–09 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 28.04.2014 के जरिये कायम की गयी मांग राशि में से ₹23,84,325/- के विरुद्ध प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान, ₹10,44,817/- की वसूली पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई।</p> <p>अपीलार्थी के अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा, एवं विभाग की ओर से उप—राजकीय अधिवक्ता श्री एन.के.बैद बहस हेतु दिनांक 28.05.2014 को उपस्थित हुये। उभयपक्षीय बहस सुनी जाकर रोक आवेदन पत्र पर निर्णय पारित किया जा रहा है।</p> <p>अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करने के आदेश में किसी प्रकार के कारणों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अग्रिम अभिवाक् किया कि अपीलार्थी व्यवहारी का आलोच्य अवधि को मूल निर्धारण आदेश नियमित निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 23 के तहत पारित किया जाकर बहीयात में अंकित संव्यवहारों के प्रकाश में, निर्धारण आदेश पारित कर, तदनुसार मांग राशि कायम की गयी थी। पुनः प्रतिकरापवचन के अधिकारियों द्वारा अविधिक रूप से क्षेत्राधिकार ग्रहण कर, अधिनियम की धारा 26 के तहत विवादाधीन निर्धारण आदेश पारित कर, मांग राशियां कायम की गयी है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। विशिष्ट रूप से कथन किया कि किसी भी व्यवहारी के एक ही निर्धारण अवधि के दो भिन्न—भिन्न निर्धारण अधिकारी नहीं हो सकते एवम् प्रतिकरापवचन के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में क्षेत्राधिकार विहिन होने के कारण कायम की गयी मांग राशि विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अपने उक्त तर्क के समर्थन में (2002) 3 टैक्स अपडेट 320, 9 टैक्स अपडेट 40, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 46 एस.टी.सी. 470, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सेल्स टैक्स रिविजन पिटीशन कमांक 73/2011 निर्णय दिनांक 13.12.2013 को प्रोद्धरित कर, निर्धारण अधिकारी द्वारा ग्रहण किया गया क्षेत्राधिकार विधिशून्य होने के कारण कायम की गयी मांग राशियां अविधिक एवम् अनुचित हैं।</p> <p>विशिष्ट रूप से गुणावगुण पर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जरिये इन्वॉयसेज के सर्विस टैक्स के नियमों के अनुसार केता से सर्विस टैक्स के रूप में उस खाद्य व पेय पदार्थ की राशि पर सर्विस टैक्स के प्रावधानान्तर्गत केवल सर्विस राशि के अनुमानित आधार पर ही कर वसूल किया गया है जिसे अधिनियम की धारा 2(36) के तहत विक्रय मूल्य का भाग नहीं माना जा सकता। कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी</p>	  लगाकर2

04.06.2014

द्वारा नियमानुसार सर्विस टैक्स वसूल कर, भारत सरकार के वित्त अधिनियम 1994 की धारा 73 के तहत केन्द्र सरकार के राजकोष में जमा करवा दिया गया है। इस संबंध में विशिष्ट रूप से भारत सरकार के वित्त अधिनियम, 1994 की धारा पाठ (Chapter)-5 की धारा 65 के सब-क्लॉज 105 को संदर्भित कर, कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा खाद्य व पेय पदार्थ की राशि के तहत सर्विस टैक्स वसूल कर, धारा 66 के तहत नियमानुसार तय सीमा के तहत उक्त का भुगतान केन्द्र सरकार के राजकोष में किया गया है। विशिष्ट रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत को प्रोद्धरित कर कथन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1980 46 एस.टी.सी 477 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि “.....Where some tax is charged in pursuance of some statutory obligation by a seller who has to pass on the same as such to the statutory authority it will not form part of “sale price” and that is why the Hon’ble Supreme Court held that mandi tax which is being collected by the seller on behalf of the mandi committee is being passed on to the mandi committee, as such will not form part of the sale price, but the commission (dami) which the seller is collecting as per the rules made by the mandi committee is retained by the seller himself, as such the same will form part of the sale price” कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा भी अपने ग्राहकों से सर्विस टैक्स वसूल कर, नियमानुसार तय सीमा में केन्द्र सरकार के राजकोष में जमा करवाया गया है जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत के आलोक में, अधिनियम की धारा 2(36) के तहत विक्रय का भाग माना जाकर, कर, ब्याज व शास्ति की मांग राशियां कायम करना विधिसम्मत एवम् उचितन नहीं है। कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी भी सर्विस टैक्स वसूल करने हेतु केवल एक माध्यम मात्र है। अतः प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में, प्रकरण व सुविधा संतुलन प्रथम दृष्ट्या, अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट किया जाकर, वसूली योग्य मांग राशियों पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी अन्यथा अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क दिया गया।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा निर्धारण अधिकारी एवम् अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, बकाया वसूली पर रोक नहीं लगाने की प्रार्थना की गयी।

उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रत्यर्थी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ग्रहण किये गये क्षेत्राधिकार के संबंध में उठायी गयी आपत्ति का प्रश्न है, इस संबंध में आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 3(ए)(9)/ज्यूरिस/कर/आयुक्त/2009/1066 दिनांक 30.11.2009 के आलोक में, निर्धारण अधिकारी द्वारा ग्रहण किया गया क्षेत्राधिकार पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है। जहां तक पूर्व में अधिनियम की धारा 23/24 के तहत पारित निर्धारण ओदंश को ‘पुनः’ अधिनियम की धारा 26 के तहत पारित निर्धारण आदेश का प्रश्न है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय दिनांक 27.01.2010, एस.बी.सिविल वैट रिवीजन पिटीशन नं.179/2009 व 180/2009, जो मैं अली मोहम्मद अब्दुल मजीद बनाम वा.क.अ., बीकानेर के प्रकरण में पारित किया गया है, मैं प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में, पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है।

जहां तक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वसूल किये गये सर्विस टैक्स को अधिनियम की धारा 2(36) के तहत विक्रय मूल्य होने अथवा नहीं होने का प्रश्न है, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स जार्ज ऑक्स प्रा.लि. बनाम भद्रास राज्य 1961 12 एस.टी.सी में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि “विक्रेता द्वारा किसी भी प्रकार का कर

04.06.2014

यदि क्रेता से वसूल किया जाता है तो वह विक्रय कीमत का भाग होता है । अतः अधिनियम की धारा 2(36) के प्रावधानानुसार किसी भी प्रकार उद्घग्रहित कर (सिवाय अधिनियम के तहत उद्घगृहणीय कर के) को विक्रय मूल्य का भाग माना गया है एवं सम्पूर्ण मूल्य पर ही वैट भुगतान योग्य है ।

इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वा.क.अ. जयपुर बनाम् ऐसर्स ब्रिटानिया डेयरी प्रा.लि. में निम्न प्रकार सिद्धांत प्रतिपादित किया है “.....To my mind the word statutory levy in the aforesaid definition of the sale price have of necessity to be construed as a statutory levy payable by the seller and not by the purchaser. Moreso the levy should relate to the sale transaction per se between the seller and purchaser and be part of the consideration passing from the buyer to the seller. To my mind for a statutory levy to be included within “sale price” as defined in section 2(36) of the Act it has to be charge by the seller on any ground whatsoever and not a charge by a third party from a purchaser for general facilities in the area of sale . A Contrary view in my consideration opinion would introduce an extraneous aspect in sale transaction fundamentally a matter of contract between the seller and buyer and the sale price be determinable not on what passes as consideration but also on the other expenses incurred by the buyer elsewhere for the sale being facilitated. ” अतः इस पीठ के विनम्र मत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के अपने उपर्युक्त उद्घरित निर्णय में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि “Statutory levy” सम्पूर्ण विक्रय संव्यवहार क्रेता व विक्रेता के मध्य सम्पारित होने चाहिये और तदनुसार प्रतिफल क्रेता से विक्रेता के मध्य स्थापित होने चाहिये । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह भी प्रतिपादित किया है कि उक्त उद्घगृहण (चार्ज) विक्रेता द्वारा कियान्वित किया जाना चाहिये न कि किसी तृतीय पक्ष (third party) द्वारा क्रेता से वसूल किया जाना चाहिये । हस्तगत प्रकरण में सर्विस टैक्स जो कि “Statutory levy” है विक्रेता एवं क्रेता के मध्य विक्रेता रामबाग पैलेस होटल द्वारा क्रेता उपभोक्ता से वसूल किया गया है एवं तत्पश्चात्, राजकोष में जमा करवायी गयी है । अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रोद्घरित न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि उक्त में मण्डी टैक्स की वसूली तृतीय पक्ष मण्डी समिति द्वारा कर की वसूली की गयी है जो कि क्रेता एवं विक्रेता के मध्य कियान्वित संव्यवहार के फलस्वरूप प्राप्त प्रतिफल का हिस्सा नहीं है । जबकि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा विक्रेता के रूप में क्रेता से सर्विस टैक्स वसूल कर, राजकोष में जमा करवाया गया है । अतः उपर्युक्त विश्लेषण व तथ्यात्मक स्थिति, ऊपर वर्णित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत के आलोक में, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है । इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति की तिथि से आगामी तीन माह में अपीलों का गुणावंगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें ।

निर्णय सुनाया गया ।

मदन लाल
सदस्य

5-6-2014

(सुनील शर्मा)
सदस्य